

मण्डल ग्वालियर (म0प्र0)



R- 3852- II 16

1. राजराखन पटेल पिता स्व0 श्री रामविशाल पटेल उम्र 40 वर्ष,
2. रामलोचन पटेल पिता स्व0 श्री रामविशाल पटेल उम्र 38 वर्ष,
3. राजेश पटेल पिता स्व0 श्री रामविशाल पटेल उम्र 35 वर्ष

उपरोक्त सभी का पेशा खेती व सभी निवासी ग्राम देवरा, थाना शाहपुर, चौकी खटखरी, पो0 खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

.....निगरानीकर्तागण

बनाम

1. श्री रामबदन पटेल पिता स्व0 श्री शंकर प्रसाद पटेल उम्र 50 वर्ष,
 2. रामजतन पटेल पिता स्व0 श्री शंकर प्रसाद पटेल उम्र 47 वर्ष,
 3. इन्द्रजीत पटेल पिता स्व0 श्री शंकर प्रसाद पटेल उम्र 45 वर्ष,
 4. रामजीत पटेल पिता स्व0 श्री शंकर प्रसाद पटेल उम्र 41 वर्ष,
 5. भागवत प्रसाद पटेल पिता स्व0 श्री भीमसेन पटेल उम्र 65 वर्ष,
 6. श्री श्यामलाल पटेल पिता स्व0 श्री रामसुन्दर पटेल उम्र 80 वर्ष,
 7. आयोध्या प्रसाद पिता स्व0 अवसेरी प्रसाद पटेल उम्र 65 वर्ष,
- उपरोक्त सभी का पेशा खेती व सभी निवासी ग्राम देवरा, थाना शाहपुर, चौकी खटखरी, पो0 खटखरी, तहसील हनुमना, जिला रीवा म0प्र0

8. शासन मध्यप्रदेश

.....गैरनिगरानीकर्तागण

निगरानी विरुद्ध आदेश माननीय राजस्व निरीक्षक मण्डल खटखरी प्रभारी अधिकारी नायब तहसीलदार सर्किल खटखरी के राजस्व प्रकरण क्रमांक 102-अ12/2015-16 एवं आदेश दिनांक 27.09.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 ई.

3

198

वर्ष 9-11-16
वर्ष 9-11-16

485
9-11-16

9/11/16
श्री शंकर प्रसाद पटेल (कफि.)


न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-3852-दो/2016

जिला रीवा

राजराखन विरूद्ध रामबदन व शासन

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|------------------|---|--|
| 18-02-2019 | <ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत ।2. पक्षकारों की ओर से कोई उपस्थित नहीं ।3. प्रस्तुत निगरानी राजस्व निरीक्षक खटखरी के प्रकरण क्रमांक 102/अ-12/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27-9-2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी ।4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है ।5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी खटखरी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 15-04-2019 को अनुविभागीय अधिकारी खटखरी के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । | <p align="right"> (अ.के. जैन) 18/2/2019 सदस्य</p> |